



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4 खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 13 सितम्बर, 2006
भाद्रपद 22, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
नगर विकास अनुभाग-6

संख्या 1899 /नौ-6-2006-9 मिस-05
लखनऊ, 13 सितम्बर, 2006

अधिसूचना

प०आ०-1214

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 112-क और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 69-ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 में संशोधन की दृष्टि से 1959 के उक्त अधिनियम की धारा 540 की उपधारा (2) और 1916 के उक्त अधिनियम की धारा 300 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या 1438/नौ-6-2006-9मिस-05, दिनांक 12 जुलाई, 2006 में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (तेईसवां संशोधन)
नियमावली, 2006

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (तेईसवां संशोधन) नियमावली, 2006 कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

(2) यह उत्तर प्रदेश में समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगी।

(3) यह गजट में उसके प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 3 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1**विद्यमान नियम**

केन्द्रीयित सेवाओं का बनाया जाना—

निम्नलिखित केन्द्रीयित सेवायें होंगी और सेवाओं में उनके सामने उल्लिखित पद होंगे—

(1) उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक (प्रवर) सेवा

(एक) नगर निगमों के उप नगराधिकारी ;

(दो) नगर निगमों के सहायक नगराधिकारी ;

(तीन) श्रेणी-एक की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी ;

(चार) श्रेणी-2 की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी ;

(पाँच) नगर निगम, कानपुर के अनुभागीय अधिकारी।

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

केन्द्रीयित सेवाओं का बनाया जाना—

निम्नलिखित केन्द्रीयित सेवायें होंगी और सेवाओं में उनके सामने उल्लिखित पद होंगे—

(1) उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक (प्रवर) सेवा

(एक) नगर निगमों के अपर नगर आयुक्त ;

(दो) नगर निगमों के उप नगर आयुक्त ;

(तीन) नगर निगमों के सहायक नगर आयुक्त ;

(चार) श्रेणी-एक की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी ;

(पाँच) श्रेणी-2 की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी ;

(छः) नगर निगम, कानपुर के अनुभागीय अधिकारी।

नियम 9 का संशोधन

3-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1**विद्यमान नियम**

9-आयु—केन्द्रीयित सेवाओं में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने इस वर्ष के, जिसमें भर्ती की जाय, अगले अनुवर्ती वर्ष की पहली जनवरी को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो या 32 वर्ष की आयु न पूरी की हो :

प्रतिबन्ध यह है कि -

(1) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसने किसी भी केन्द्रीयित सेवा अथवा पालिका में एक वर्ष या उससे अधिक की सेवा कर ली हो, अधिकतम आयु निरन्तर सेवा अथवा सात वर्ष की अवधि, इसमें जो भी कम हो, की सीमा तक अधिक होगी।

(2) यदि कोई अभ्यर्थी ने अपनी आयु के आधार पर किसी ऐसे वर्ष में चयन में उपस्थित होने के लिये हकदार होता, जिसमें कोई चयन किया गया हो तो वह अपनी आयु के आधार पर अगले अनुवर्ती चयन में उपस्थित होने के लिये हकदार समझा जायेगा।

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

9-आयु—केन्द्रीयित सेवाओं में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष के, जिसमें भर्ती की जाय, अगले अनुवर्ती वर्ष की पहली जनवरी को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु न प्राप्त की हो :

प्रतिबन्ध यह है कि -

(1) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसने किसी भी केन्द्रीयित सेवा अथवा पालिका में एक वर्ष या उससे अधिक की सेवा कर ली हो, अधिकतम आयु निरन्तर सेवा अथवा सात वर्ष की अवधि, इसमें जो भी कम हो, की सीमा तक होगी।

(2) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आयु के आधार पर किसी ऐसे वर्ष में चयन में उपस्थित होने के लिये हकदार होता, जिसमें कोई चयन नहीं किया गया हो तो वह अपनी आयु के आधार पर अगले अनुवर्ती चयन में उपस्थित होने के लिये हकदार समझा जायेगा।

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में अधिकतम आयु सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी।

(4) राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस नियम में विहित अधिकतम आयु सीमा को, किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के वर्ग के पक्ष में शिथिल कर सकती है। यदि वह उचित व्यवहार के हित में या लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझे।

4-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-43 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

43-पालिका पर्वतीय उप संवर्ग का गठन—

(1) इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी अनुसूची-4 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित केन्द्रीयित सेवा का एक पृथक पालिका पर्वतीय उप संवर्ग होगा जिसमें उसके स्तम्भ-2 में उनके सामने उल्लिखित पद होंगे।

(2) ऐसे पदों के पदधारी उक्त उप संवर्ग में उनके आवंटन के पश्चात नियम-44 के अनुसार पर्वतीय जिलों अर्थात अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ उत्तरकाशी के बाहर स्थानान्तरित होने के दायी नहीं होंगे।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक केन्द्रीयित सेवा की पालिका पर्वतीय उप संवर्ग की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत करे।

5-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-44 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

44-सेवा के सदस्यों का पालिका पर्वतीय उप संवर्ग को आवंटन—(1) अनुसूची चार के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पदों पर सेवा कर रहे केन्द्रीयित सेवा के वर्तमान सदस्यों से उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 1996 के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन मास के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह अपेक्षा की जायेगी कि वे पालिका पर्वतीय उप संवर्ग में आवंटन के लिये या सामान्य वर्ग में बने रहने के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करें।

स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में अधिकतम आयु सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी।

(4) राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस नियम में विहित अधिकतम आयु सीमा को, किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के वर्ग के पक्ष में शिथिल कर सकती है, यदि वह उचित व्यवहार के हित में या लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझे।

नियम 43 का संशोधन

स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

43-पालिका मण्डलीय उप संवर्ग का गठन—

(1) इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी पालिकाओं अर्थात नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में एक पृथक पालिका मण्डलीय उप संवर्ग होगा, जिसमें अनुसूची-4 के स्तम्भ-3 में उल्लिखित पद होंगे।

(2) ऐसे पदों के पदधारी मण्डलों के अंदर की पालिकाओं में समान पद तथा वेतनमान में स्थानान्तरित किये जाने के दायित्व के अधीन होंगे।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक केन्द्रीयित सेवा की पालिका मण्डलीय उप संवर्ग में सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय :

परन्तु पदों की संख्या वर्तमान में विद्यमान पदों से अन्यून नहीं होगी।

नियम 44 का संशोधन

स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

44-सेवा के सदस्यों का पालिका मण्डलीय उप-संवर्ग को आवंटन—इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व अनुसूची-4 में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्त कर्मचारियों, जिनके अन्तर्गत अधिकारी भी हैं, का संविलियन या उनकी सेवाओं की समाप्ति नियम-6 के उपनियम (7) से नियंत्रित होगी।

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(2) एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम और अप्रतिसंहरणीय होगा।

(3) यदि उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विकल्प का प्रयोग न किया जाय तो यह समझा जायेगा कि केन्द्रीयित सेवा का सदस्य सामान्य संवर्ग में रहना चाहता है और अपना आवंटन पालिका पर्वतीय उप-संवर्ग में नहीं चाहता।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों की जिन्होंने पालिका पर्वतीय उप-संवर्ग में आवंटन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया है, केन्द्रीयित सेवाओं में उनकी ज्येष्ठता के अनुसार एक सूची तैयार करेगा।

(5) पालिका पर्वतीय उप-संवर्ग में व्यक्तियों का आवंटन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम उपनियम (4) के अधीन तैयार की गयी सूची में आवे हों और यदि ऐसी सूची में व्यक्तियों की संख्या पदों की संख्या से अधिक हो तो पदों की संख्या से अधिक व्यक्तियों की एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी और जब कभी पालिका पर्वतीय उप-संवर्ग में कोई रिक्ति हो उनका उक्त उप-संवर्ग में आवंटन किया जायेगा।

(6) यदि उपनियम (4) के अधीन तैयार की गयी सूची में व्यक्तियों की संख्या पालिका पर्वतीय उप-संवर्ग में पदों की संख्या से कम हो तो शेष रिक्त पदों को इस नियमावली के अनुसार भरा जायगा :

परन्तु जब तक इस नियमावली के अनुसार पदों को भरा नहीं जाता है तब तक पदों को सामान्य वर्ग से स्थानान्तरण द्वारा भरा जायेगा।

नियम 45 का संशोधन

6-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 45 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

45-पालिका पर्वतीय उप-संवर्ग में भर्ती—पालिका पर्वतीय उप-संवर्ग में पदों पर भर्ती यथास्थिति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा इस नियमावली के अनुसार की जायेगी :
परन्तु जहाँ पालिका पर्वतीय उप-संवर्ग में आने वाले किसी पद पर भर्ती पदोन्नति द्वारा की जानी हो तो पालिका पर्वतीय उप-संवर्ग के सदस्यों की पृथक पात्रता सूची तैयार की जायेगी और उससे भर्ती की जायेगी।

स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

45-पालिका मण्डलीय उप-संवर्ग में भर्ती—मण्डलीय उप-संवर्ग में भर्ती की रीति निम्न प्रकार होगी:-
(1) भर्ती की रीति—पालिका मण्डलीय उप-संवर्ग के प्रत्येक संवर्ग के पदों पर भर्ती की रीति वही होगी जो अनुसूची-4 के स्तम्भ-5 में उसके सामने उल्लिखित की गयी है।
(2) अर्हता- पालिका मण्डलीय उप-संवर्ग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अर्हताएँ वही

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

होंगी जो अनुसूची-4 के स्तम्भ-4 में उल्लिखित की गयी है अथवा जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाय।

(3) पात्रता सूची—पालिका मण्डलीय उपसंवर्ग में पदों पर भर्ती यथास्थिति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा इस नियमावली के अनुसार की जायेगी :

परन्तु यदि पालिका मण्डलीय उप-संवर्ग में भर्ती पदोन्नति द्वारा की जाती है तो ऐसे उप-संवर्ग के सदस्यों की पात्रता सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी और उससे भर्ती की जायेगी।

(4) आयु—पालिका मण्डलीय उप-संवर्ग के किसी पद पर सीधी भर्ती के निमित्त अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष प्रार्थना-पत्र मांगे जायें, उस वर्ष की पहली जनवरी, को 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी अथवा ऐसी होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाय।

(5) सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया:-

(1) रिक्तियों की सूची—

(क) नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, पालिका में सृजित पदों के सापेक्ष समस्त रिक्तियों की एक सूची प्रतिवर्ष अक्टूबर तक तैयार करेगा और इसे चयन समिति के अध्यक्ष को प्रेषित करेगा।

(ख) यदि पालिका में सृजित किसी रिक्त पद पर अनुसूची-4 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा की जानी हो, तो चयन समिति का अध्यक्ष दैनिक समाचार पत्रों में रिक्तियों को अधिसूचित करके प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करेगा।

(ग) अध्यक्ष, चयन समिति के निर्देश पर संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा संबंधित स्थानीय क्षेत्र में प्रसारित होने वाले कम से कम दो सामाचार पत्रों में भी रिक्तियां अधिसूचित की जायेंगी।

(2) चयन समिति का गठन—

सीधी भर्ती चयन समिति, जिसे आगे समिति कहा गया है, की सिफारिश पर की जायेगी। जिसका गठन निम्नवत् किया जायेगा:-

(क) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश

-अध्यक्ष

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(ख) नगर विकास विभाग का एक प्रतिनिधि,
जो विशेष सचिव से अन्यून पंक्ति का हो,

- सदस्य

(ग) उत्तर प्रदेश जल निगम का एक
अधिकारी, जो अधीक्षण अभियंता से अन्यून
पंक्ति का हो,

- सदस्य

(घ) तकनीकी कर्मचारी के चयन की स्थिति
में, समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित एक
तकनीकी अधिकारी, जो नगर विकास विभाग
के मुख्य अभियंता से अन्यून पंक्ति का हो,

- सदस्य

परन्तु यदि समिति में अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का
प्रतिनिधित्व न हो तो प्रत्येक वर्ग का एक
सदस्य, जो श्रेणी-2 के किसी अधिकारी से
अन्यून पंक्ति का हो, समिति के अध्यक्ष द्वारा
नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(6) आवेदन-पत्र—(क) सेवाओं में भर्ती हेतु
आवेदन चयन समिति द्वारा समय-समय पर
यथावधारित किये जाने वाले प्रपत्र पर किये
जायेंगे।

(ख) आवेदन-पत्र शुल्क तथा परीक्षा शुल्क
समिति के अध्यक्ष द्वारा नियत की जायेगी।

7-लिखित परीक्षा—(एक) ऐसी भर्ती के लिये
सामान्य प्रकृति की लिखित परीक्षा आयोजित
की जायेगी। आवश्यक व्यवस्था समिति के
अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(दो) लिखित परीक्षा में अधिकतम 200 अंक
होंगे, जिसमें अभ्यर्थियों के शैक्षिक विषयों के
साथ-साथ, पद के कर्तव्य हेतु ज्ञान एवं दक्षता
का मूल्यांकन किया जाएगा। कम्प्यूटर एवं टंकण
के व्यावहारिक ज्ञान की परीक्षा हेतु 25 प्रतिशत
अंक भी प्रदान किये जायेंगे।

8- साक्षात्कार—(एक) साक्षात्कार में, समिति
के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों द्वारा
निम्नलिखित रीतियों के अनुसार उनमें विहित
अधिकतम अंकों के आधार पर, पृथक-पृथक
अंक प्रदान किये जायेंगे। 50 अंकों के
अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे:-

(क) विषय और सामान्य ज्ञान का मूल्यांकन	15 अंक
(ख) पद हेतु दक्षता का मूल्यांकन	15 अंक
(ग) व्यक्तित्व निर्धारण	10 अंक
(घ) अभिव्यक्ति की दक्षता	10 अंक

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(दो) साक्षात्कार में अंकों की गणना-

अभ्यर्थियों को समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा उसके लिये नियत किये गये अधिकतम अंकों में से पृथक-पृथक रूप से अंक दिये जाएंगे। इस प्रकार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों का विनिश्चय समिति के सदस्यों और अध्यक्ष द्वारा दिये गये अंकों के औसत के आधार पर किया जाएगा।

9- अनुमोदित सूची—

(एक) अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को सारिणीबद्ध किये जाने के पश्चात समिति का अध्यक्ष उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा, जिन्होंने लिखित परीक्षा में सेवा के लिये अपनी उपयुक्तता प्रदर्शित की है। प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में प्रदान किये गये अंकों को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा और योग्यता-क्रम का अवधारण दोनों के योग पर किया जायेगा।

(दो) समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये रिक्तियों के आरक्षण से संबंधित उपबंधों के अधीन रहते हुए अभ्यर्थियों की सूची अधिमान क्रम में तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। इस सूची में नामों की संख्या घोषित रिक्तियों की संख्या से कुछ अधिक होगी।

10- पदोन्नति की प्रक्रिया—

पदोन्नति द्वारा भर्ती चयन समिति के माध्यम से सेवा के ठीक निम्न पद क्रम के पात्र कर्मचारियों में से ज्येष्ठता के आधार पर, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए कर्मचारियों की पात्रता सूची नियम 20 के उपनियम(2) में दी गयी रीति से तैयार की जायेगी।

11- नियुक्तियां—नियुक्ति प्राधिकारी खण्ड (9) के अधीन तैयार की गयी सूची में से सीधी भर्ती द्वारा तथा खण्ड (10) के अधीन तैयार सूची में से पदोन्नति द्वारा नियुक्त करेगा।

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

12-नियुक्ति तथा स्थानान्तरण की शक्ति—
अधिकांश अधिकारी/नगर आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी पालिका मण्डलीय उप-संवर्ग के कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी होगा। मण्डलीय अपर निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को नियम 43 के उप नियम (2) के अधीन स्थानान्तरणों की शक्तियां होंगी।

नियम 46 का संशोधन

7- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-46 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

46-पालिका पर्वतीय उप-संवर्ग के व्यक्तियों की ज्येष्ठता—पालिका पर्वतीय उप-संवर्ग की किसी सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता इस नियमावली के अनुसार अवधारित की जाएगी।

स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

46- ज्येष्ठता - पालिका मण्डलीय उप-संवर्ग के व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी :

परन्तु यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति एक ही दिनांक से की जाय, तो उनकी ज्येष्ठता का अवधारण उस क्रम में किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 45 के उपनियम (9) तथा (10) के अधीन तैयार की गयी सूची में आए हों।

अनुसूची-एक का संशोधन

8- उक्त नियमावली की अनुसूची-1 में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी क्रम संख्या-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया क्रम रख दिया जाएगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1
विद्यमान अनुसूची
अनुसूची-एक

[नियम 6 (1) (एक) देखिए]

केन्द्रीयित सेवा का नाम	पदनाम
1- उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक (प्रवर) सेवा	नगर निगमों के उप नगर अधिकारी

स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची
अनुसूची-एक

[नियम 6 (1) (एक) देखिए]

केन्द्रीयित सेवा का नाम	पदनाम
1- उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक (प्रवर) सेवा	निगमों के अपर नगर आयुक्त, निगमों के उप नगर आयुक्त।

आज्ञा से,
अमल कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

अनुसूची-4
पालिका मण्डलीय उप-संवर्ग

संवर्ग का नाम	क्रम-संख्या	पद का नाम	शैक्षिक अर्हता	भर्ती की रीति
1	2	3	4	5
पालिका मण्डलीय राजस्व सेवा	1	नगर पालिका श्रेणी-4 के ज्येष्ठ कर एवं राजस्व निरीक्षक	1- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक 2- पदोन्नति हेतु क्रमांक-2 के पद का 5 वर्ष का अनुभव 3- कम्प्यूटर ज्ञान की अधिमानी	क्रमांक 2 से प्रोन्नति द्वारा
	2	नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के टैक्स कलेक्टर, अमीन, जिलेदार	1- सीधी भर्ती हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक 2- पदोन्नति हेतु क्रमांक-3 के पद को 5 वर्ष का अनुभव	50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत क्रमांक-3 से पदोन्नति द्वारा
	3	नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में कर एवं राजस्व मोहर्रर, कर समाहर्ता	1- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक 2- स्तम्भ 4 के पद का 5 वर्ष का अनुभव 3- कम्प्यूटर ज्ञान की अधिमानी	50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत क्रमांक-4 से पदोन्नति द्वारा
	4	नगर निगमों के नायब मोहर्रर, नायब पाउण्ड मोहर्रर, नायब स्लाटर हाउस मोहर्रर और नगर पालिका परिषद के नायब कर और राजस्व मोहर्रर, कर समाहर्ता, अमीन एवं नगर पंचायतों के नायब कर एवं राजस्व मोहर्रर	1- इण्टरमीडिएट या समकक्ष 2- कम्प्यूटर ज्ञान की अधिमानी	सीधी भर्ती द्वारा
पालिका मण्डलीय अभियन्त्रण सेवाएं	1	नगर निगमों के प्रकाश निरीक्षक, सीनियर इलेक्ट्रीशियन, सीनियर मैकेनिक, हैडफिटर, फोरमैन (वर्कशाप) तथा नगर पालिकाओं के प्रकाश अधीक्षक	आई0टी0आई0 प्रशिक्षण	क्रमांक-3 से पदोन्नति द्वारा
	2	नगर निगमों के फोरमैन	मान्यता प्राप्त प्राविधिक संस्थान से मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल आटोमोबाइल में डिप्लोमा या समकक्ष	50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत क्रमांक 3 से पदोन्नति द्वारा
	3	नगर पालिकाओं और नगर निगमों के प्रधान फिटर, फोरमैन, वर्कशाप मैकेनिक एवं नगर पालिकाओं के प्रकाश निरीक्षक	राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आई0टी0आई0 प्रशिक्षण या समकक्ष	क्रमांक 4 से पदोन्नति द्वारा
	4	नगर पालिकाओं और नगर निगमों के बढ़ई, लोहार, लाईटिंग मिस्त्री सीनियर लाईनमैन, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, वेल्डर और मैकेनिक	राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आई0टी0आई0प्रशिक्षण या समकक्ष	50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत क्रमांक-5 से पदोन्नति द्वारा
	5	नगर निगमों और नगर पालिकाओं के इलेक्ट्रीशियन, लाईनमैन, बढ़ई, लोहार	राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आई0टी0आई0 प्रशिक्षण या समकक्ष	सीधी भर्ती द्वारा

1	2	3	4	5
पालिका मण्डलीय लिपिक वर्गीय सेवाएं	1	नगर निगमों के प्रधान लिपिक	इण्टरमीडिएट या समकक्ष, हिन्दी टंकण-25 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी टंकण और कम्प्यूटर का ज्ञान अधिमानी है	क्रमांक-2 से पदोन्नति द्वारा
	2	नगर पालिकाओं और नगर निगमों के वरिष्ठ लेखालिपिक, लेखालिपिक, प्रथम श्रेणी लिपिक, जन्म-मृत्यु लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, विभागीय वाचन लिपिक, प्रधान लिपिक श्रेणी-2 और टंकक श्रेणी-1	इण्टरमीडिएट या समकक्ष, हिन्दी टंकण-25 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी टंकण और कम्प्यूटर का ज्ञान अधिमानी है	क्रमांक-3 से पदोन्नति द्वारा
	3	नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिपिक श्रेणी-2, टंकक, स्टोर कीपर, कनिष्ठ लिपिक, रिकार्ड कीपर, टंकक, लेखा लिपिक, कैशियर, नगर पंचायतों के प्रधान लिपिक	इण्टरमीडिएट या समकक्ष, हिन्दी टंकण-25 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी टंकण और कम्प्यूटर का ज्ञान अधिमानी है	80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 20 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नति द्वारा
पालिका मण्डलीय लोक स्वास्थ्य सेवाएं	1	नगर निगमों के वैक्सीनेटर	वैक्सीनेशन में प्रशिक्षण सहित इण्टरमीडिएट	सीधी भर्ती द्वारा
	2	नगर पालिका परिषदों के वैक्सीनेटर	वैक्सीनेशन में प्रशिक्षण सहित इण्टरमीडिएट	सीधी भर्ती द्वारा
पालिका मण्डलीय आशु लिपिक सेवाएं	1	नगर निगमों और नगर पालिकाओं के आशुलिपिक	हिन्दी आशुलिपि में प्रति मिनट न्यूनतम 80 शब्दों की गति और टंकण में प्रति मिनट 25 शब्दों की गति के साथ आशुलिपि और टंकण में डिप्लोमा सहित इण्टरमीडिएट या समकक्ष	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत लिपिकीय श्रेणी से पदोन्नति द्वारा

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1899/IX-6—2006-9Misc-05, dated September 13, 2006 :

No. 1899//IX-6—2006-9Misc-05
Dated Lucknow, September 13, 2006

IN exercise of the powers under section 112-A of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 11 of 1959) and section 69-B of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 11 of 1916), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Palika (Centralised) Services Rules, 1966 after their previous publication in the Government notification no. 1438/IX-6—06-Misc-05, dated July 12, 2006 as required under sub-section (2) of section 540 of the said Act of 1959 and sub-section (1) of section 300 of said Act of 1916.

THE UTTAR PRADESH PALIKA (CENTRALISED) SERVICE
(TWENTY-THIRD AMENDMENT) RULES, 2006

1. (1) These rules shall be called the Uttar Pradesh Palika (Centralised) Services (Twenty-third Amendment) Rules, 2006.

Short title,
extent and
commencement

(2) They shall be applicable to all the Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats in Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

2. In the Uttar Pradesh Palika (Centralised) Services Rules, 1966 hereinafter referred to as the said rules, for sub-rule (1) of rule 3 set out in Column-I below the sub-rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :—

Amendment of
rule 3

COLUMN-I

Existing sub-rule

Formation of Centralised Services—
There shall be the following Centralised Services consisting of the posts mentioned against them.

(1) Uttar Pradesh Palika Administrative (Superior) Service —

(i) Up Nagar Adhikaris of the Corporations;

(ii) Sahayak Nagar Adhikaris of the Corporations;

(iii) Executive Officers of Class I Municipal Councils;

(iv) Executive Officers of Class II Municipal Councils;

(v) Anubhagiya Adhikaris of the Municipal Corporation of Kanpur.

COLUMN-II

Sub-rule as hereby substituted

Formation of Centralised Services—
There shall be the following Centralised Services consisting of the posts mentioned against them.

(1) Uttar Pradesh Palika Administrative (Superior) Service —

(i) Additional Municipal Commissioner of the Corporations;

(ii) Deputy Municipal Commissioner of the Corporations;

(iii) Assistant Municipal Commissioner of the Corporations;

(iv) Executive Officers of Class I Municipal Councils;

(v) Executive Officers of Class II Municipal Councils;

(vi) Anubhagiya Adhikaris of the Municipal Corporation of Kanpur.

3. In the said rules for rule 9 set out in the Column-I below the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :—

Amendment of
rule 9

COLUMN-I

Existing sub-rule

9. Age—A candidate for direct recruitment to any post in the Centralised Services must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 32 years on the first day of January next following the years in which the recruitment is made :

COLUMN-II

Sub-rule as hereby substituted

9. Age—A candidate for direct recruitment to any post in the Centralised Services must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 35 years on the first day of January next following the year in which the recruitment is made :

COLUMN-I*Existing sub-rule*

Provided that—

(1) in the case of a person who has already rendered one years service or more in any of the Centralised Services or in the Palika, the maximum age-limit shall be greater to the extent he has rendered continuous service or a period of seven years whichever is less ;

(2) a candidate, who was entitled is respect of his age to appear at a selection in any year in which no selection is made shall be deemed to be on titled in respect of his age to appear at the next following selection;

(3) the maximum age-limit shall in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes, be greater by 5 years;

(4) the State Government may by a general or special order relax the maximum age-limit prescribed in this rule in favour of any candidates or class of candidates, if it considers it necessary in the interest of fair dealing or on public interest.

COLUMN-II*Sub-rule as hereby substituted*

Provided that—

(1) in the case of a person who has already rendered one years service or more in any of the Centralised Services or in the Palika, the maximum age-limit shall be greater to the extent he has rendered continuous service or a period of seven years whichever is less ;

(2) a candidate, who was entitled is respect of his age to appear at a selection in any year in which no selection is made shall be deemed to be on titled in respect of his age to appear at the next following selection;

(3) the maximum age-limit shall in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes, be greater by 5 years;

(4) the State Government may by a general or special order relax the maximum age-limit prescribed in this rule in favour of any candidates or class of candidates, if it considers it necessary in the interest of fair dealing or on public interest.

4. In the said rules for rule 43 set out in the Column-I below the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :—

COLUMN-I*Existing sub-rule*

43. Constitution of Palika Hill Sub-cadre—

(1) Notwithstanding anything in these rules, there shall be a separate Palika Hill Sub-cadre of the Centralised Services mentioned in Column-I of Schedule IV consisting of the posts mentioned against them in Column-II thereof.

(2) The incumbents of such posts shall, after their allocation to the said sub-cadre in accordance with rule 44, not liable to be transferred outside the Hill districts, namely—Almora, Chamoli, Dehradun, Nainital, Pauri-Garhwal, Tehri-Garhwal, Udham Singh Nagar, Pithoragarh and Uttar Kashi.

COLUMN-II*Sub-rule as hereby substituted*

43. Constitution of Palika Divisional Sub-cadre—

(1) Notwithstanding anything in these rules, there shall be a separate Palika Divisional Sub-cadre of the Centralised Services in Palikas *i.e.* Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats consisting of the posts mentioned in Column-III of Schedule-IV.

(2) The incumbents of such posts shall, be liable to be transferred in Palikas within the divisions on equal posts and pay scale.

COLUMN-I

Existing sub-rule

(3) The Strength of Palika Hill Sub-Cadre of each of the Centralised Services referred to in sub-rule (1) shall be such as the Government may from time to time fix by general or special order.

COLUMN-II

Sub-rule as hereby substituted

(3) The Strength of Palika Divisional Sub-Cadre of each of the Centralised Services referred to in sub-rule (1) shall be such as may from time to time, be determined by the State Government :

Provided that such number of posts shall not be less than the number of present existing posts created.

5. In the said rules for rule 44 set out in the Column-I below the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :—

Amendment of rule 44

COLUMN-I

Existing sub-rule

44. Allocation of members of Service to Palika Hill Sub-Cadre—

(1) The existing members of the Centralised Services serving on the posts mentioned in Column-II of Schedule-IV shall be required by the appointing authority to exercise their option within three months from the date of commencement of the Uttar Pradesh Palika (Centralised) Service (20th Amendment) Rules, 1996 for allocation to Palika Hill Sub-cadre or for continuing in the General Cadre.

(2) Option once exercised shall be final and irrevocable.

(3) In case no option is exercised within the time specified in sub-rule(1), it shall be deemed that the member of the Centralised Service wants to remain in the General Cadre and does not wants his allocation to the Palika Hill Sub-Cadre.

(4) The appointing authority shall prepare a list of persons who have exercised their option for allocation to the Palika Hill Sub-Cadre in accordance with the seniority of the persons as it stood in the Centralised Services.

(5) Allocation of persons to the Palika Hill Sub-Cadre shall be made by the appointing authority in the order in which their names appear in the list prepared under sub-rule (4), and if the number of persons in such

COLUMN-II

Sub-rule as hereby substituted

44. Allocation of members of Service to Palika Divisional Sub-Cadre—

(1) Just before commencement of these rules, the absorption or termination of the services of the employees including officers appointed under these rules on the posts, mentioned in Schedule IV, shall be controlled under sub-rule (7) of rule 6.

COLUMN-I*Existing sub-rule*

list is larger than the number of posts, the persons in excess of posts shall be placed in a waiting list and shall be allocated to the Palika Hill Sub-Cadre as and when vacancies occur therein.

(6) In case the number of persons in the list prepared under sub-rule (4) is less than the number of posts in the Palika Hill Sub-Cadre the posts remaining vacant shall be filled in accordance with these rules:

Provided that so long the posts are not filled in accordance with these rules, the posts shall be filled by transfer from General in the said Cadre.

6. In the said rules for rule 45 set out in the Column-I below the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-I*Existing sub-rule*

45. Recruitment to Palika Hill Sub-Cadre – Recruitment to the posts in the Palika Hill Sub-Cadre shall be made by direct recruitment or by promotion, as the case may be, in accordance with these rules :

Provided that where recruitment to any post falling in the Palika Hill Sub-Cadre is to be made by promotion, separate eligibility list of the members of Palika Hill Sub-Cadre shall be prepared and recruitment made there from.

COLUMN-II*Sub-rule as hereby substituted*COLUMN-II*Sub-rule as hereby substituted*

45. Recruitment to Palika Divisional Sub-Cadre – The manner of recruitment of Divisional sub-cadre shall be as follows:-

(1) Method of recruitment– The method of the recruitment to each cadre of the posts of Palika Divisional Sub-Cadre, shall be the same as mentioned against column-5 of Schedule-4

(2) Qualifications – The qualification for the recruitment to the various posts in Palika Divisional Sub-Cadre shall be the same as mentioned in column-4 of Schedule 4 or as prescribed by the State Government from time to time.

(3) Eligibility List – The recruitment to the posts of Palika Divisional Sub-Cadre by direct recruitment or promotion, as the case may be, shall be done in accordance with these rules :

Provided that if the recruitment by promotion is made to the Palika Divisional Sub-Cadre, eligibility list of the members of such Sub-Cadre shall be prepared by the appointing authority and recruitment shall be made there from.

Amendment of
rules 45

COLUMN-I
Existing sub-rule

COLUMN-II

Sub-rule as hereby substituted

(4) Age - A candidate for direct recruitment to any post in the Palika Divisional Sub-Cadre must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 35 years on the first day of January of the year in which the applications are invited, or as the State Government may from time to time decide. The maximum age limit shall be greater by 5 years in the case of candidates belonging to the Schedule Caste, Schedule Tribes and other backward classes or as decided by the State Government from time to time.

(5) Procedure for direct recruitment-

(i) List of Vacancies-

(a) The Municipal Commissioner or Executive Officer shall prepare a list of all the vacancies against the created posts in the Palika in every year up to October and shall send it to the Chairman of the Selection Committee.

(b) If an appointment on any created post of Palika is to be made by direct recruitment in accordance with Schedule 4 the Chairman of the Selection Committee, after notifying the vacancies in daily news papers, shall invite applications.

(c) The vacancies shall also be notified in at least two news papers having circulation in the local area concerned by the local bodies concerned on the directions of the Chairman of the Selection Committee.

(ii) Constitution of Selection Committee- Appointment by direct recruitment shall be done on the recommendations of Selection Committee, hereinafter referred to as the Committee which shall be constituted as follows:

(a) Director, Local Bodies, Uttar Pradesh.

Chairman

